मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 59

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		42821.35	2810.08	45631.43	49659.00	3042.00	52701.00	47159.00	2977.30	50136.30	51828.00	3287.10	55115.10
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**42821.35**	**2810.08**	**45631.43**	**49659.00**	**3042.00**	**52701.00**	**47159.00**	**2977.30**	**50136.30**	**51828.00**	**3287.10**	**55115.10**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	...	4.77	4.77	...	6.06	6.06	...	4.87	4.87	...	6.54	6.54
सामान्य शिक्षा													
प्राथमिक शिक्षा													
2. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	2202	0.99	...	0.99	2.02	...	2.02	2.02	...	2.02	...	...	...
	3601	381.98	...	381.98	429.07	...	429.07	429.07	...	429.07	...	...	...
	3602	12.45	...	12.45	18.30	...	18.30	18.30	...	18.30	...	...	...
	जोड़	*395.42*	...	*395.42*	*449.39*	...	*449.39*	*449.39*	...	*449.39*	...	...	...
3. महिला समाख्या	2202	59.81	...	59.81	58.00	...	58.00	58.00	...	58.00	...	...	...
4. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली	2202	3.56	6.43	9.99	7.20	7.66	14.86	6.43	7.39	13.82	9.00	8.28	17.28
5. स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	14.77	...	14.77	72.39	...	72.39	48.87	...	48.87	63.00	...	63.00
	3601	4029.59	...	4029.59	3698.59	...	3698.59	3729.56	...	3729.56	...	...	...
	3602	90.30	...	90.30	146.52	...	146.52	107.39	...	107.39	...	...	...
	जोड़	*4134.66*	...	*4134.66*	*3917.50*	...	*3917.50*	*3885.82*	...	*3885.82*	*63.00*	...	*63.00*
6. सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)	2202	9841.80	...	9841.80	8079.18	...	8079.18	8078.68	...	8078.68	118.25	...	118.25
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	*9841.80*	...	*9841.80*	*8079.20*	...	*8079.20*	*8078.70*	...	*8078.70*	*118.25*	...	*118.25*
7. राष्ट्रीय निवेश निधि													
7.01 राष्ट्रीय निवेश निधि के आय और व्यय खाते में अंतरण	3475	87.75	...	87.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.02 राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित योजना													
7.02.01 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	87.75	...	87.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*87.75*	...	*87.75*	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
7.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई राशि	2202	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	-87.75	...	-87.75	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-87.75*	...	*-87.75*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	*87.75*	...	*87.75*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8. प्रारंभिक शिक्षा कोष को अंतरण (पीएसके)	2202	20667.34	...	20667.34	24429.00	...	24429.00	22980.00	...	22980.00	5.00	...	5.00
9. प्रारंभिक शिक्षा कोष से वित्त पोषित स्कीमें													
9.01 स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	2202	...	...	...	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	3601	6626.74	...	6626.74	7975.00	...	7975.00	7110.77	...	7110.77	...	...	...
	3602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*6626.74*	...	*6626.74*	*7976.00*	...	*7976.00*	*7110.77*	...	*7110.77*	...	...	...
9.02 सर्वशिक्षा													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)													
1. माध्यमिक शिक्षा	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.01	...	50.01
2. बुनियादी शिक्षा	43602	...	...	...	...	...	...	...	...	...	220.91	...	220.91
जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना		**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**270.92**	**...**	**270.92**
जोड़		**42821.35**	**...**	**42821.35**	**49659.00**	**...**	**49659.00**	**47159.00**	**...**	**47159.00**	**51828.00**	**...**	**51828.00**

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान।

2. **अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सशक्तीकरण:** इस योजना का अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास को समर्थन योजना के साथ विलय किया गया है।

3. **महिला समाख्या कार्यक्रम:** इस योजना का सर्वशिक्षा अभियान के साथ विलय किया गया है।

4. **राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली:** भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर भारत सरकार द्वारा 1956 में स्थापित राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली एक स्वायत्त निकाय है जिसका संपूर्ण वित्त-पोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय बाल भवन 5 से 16 वर्ष की आयु वर्ग के, विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में योगदान देता रहा है।

5,37. **स्कूलों में मध्याहून भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम:** नामांकन, अवधारण और उपस्थिति के साथ-साथ बच्चों में पोषण स्तर में वृद्धि करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ में देश के 2408 ब्लॉकों में 15 अगस्त, 1995 को आरंभ किया गया था। क्रमशः इसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को शामिल करने के लिए देश के सभी ब्लॉकों में विस्तारित किया गया। अक्तूबर, 2007 में इस योजना को पुनः संशोधित करके इसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा VI से VIII) के बच्चों को शामिल किया गया। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम के तहत देश भर के सभी क्षेत्रों में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा I से VIII)तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है।

6, 38. **सर्व शिक्षा अभियान:** (i) भारत सरकार का सर्व शिक्षा अभियान देश में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाला फ्लैगशिप कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान देश के सभी जिलों में प्रारंभिक शिक्षा की सुलभता, अवधारण और गुणवत्ता सुधार को सुनिश्चित करता है। 10वीं योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के मध्य व्यय की भागीदारी 75:25 के आधार पर थी। ग्यारहवीं योजनावधि के पहले दो वर्षों के लिए 65:35 तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए और तत्पश्चात् 50:50 का निधीयन पैटर्न होगा। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत निधीयन पैटर्न 90:10 का है जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रीय बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए उद्दिष्ट 10% निधियों में से होगी। तथापि 01.04.2010, से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संबंध में निधियन पैटर्न को संशोधित किया गया है तथा पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हिस्सेदारी 65:35 में होगी। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच 90:10 की मौजूदा निधि हिस्सेदारी जारी रहेगी। 500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(ii) महिला समाख्या कार्यक्रम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अंतर्निहित उद्देश्यों के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं की शिक्षा एवं अधिकारिता के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए महिला समाख्या योजना शुरू की गई थी। यह योजना इस समय ग्यारह राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में क्रियान्वित की जा रही है।

8, 39. **प्रारंभिक शिक्षा कोष:** वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से सभी प्रमुख केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर के लागू होने से शिक्षा उपकर की प्राप्तियों के लिए अव्यपगत निधियों हेतु 14.11.2005 को प्रारंभिक शिक्षा कोष की स्थापना की गई।

11. **मदरसा में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं:** इस योजना का विलय मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना के साथ कर दिया गया है।

12. **अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना::** इस योजना का विलय मदरसों/अल्पमसंख्यसकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना के साथ किया गया है।

13,42. **प्रौढ़ शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण सहित शैक्षणिक विकास को सहायता:** (i) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का सशक्तीतकरण:अध्यापकों को वैश्विक स्तर का बनाने हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति, 1986 के बनाए जाने के अनुसरण में शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना और पुनर्गठन की केन्द्रीय प्रयोजित योजना का शुभारम्भ सन् 1987 में किया गया। योजना का मार्च, 2012 में संशोधन किया गया। योजना में शिक्षा का अधिकार के अधिदेश के अनुसार राज्यों में समग्र शिक्षा विकास के साथ अध्यापक शिक्षा के एकीकरण की कल्पना की गई है। इससे अध्यापक शिक्षा संस्थाओं, विशेष रूप से पूर्व और पूर्वोतर क्षेत्र के कुछ कमी वाले राज्यों की क्षमता के विस्तार में भी सहायता मिलेगी तथा बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। योजना, आर एम एस ए के आलोक में माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सांस्थानिक क्षमता में विस्तार करने में भी सहायता मिलेगी एवं इसके प्राथमिक अध्यापक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता, सिविल कार्यों, उपस्कलरों

की खरीद, वेतन और भत्तों, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यक्रमों इत्यादि के लिए दी जाएगी। निधियन मानदण्ड सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए 75:25 के अनुपात में होगा (सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)।

(ii) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना:

साक्षरता अभियान और आप्रेशन सुधार तथा नव-साक्षरों के लिए अनवरत शिक्षा की विद्यमान योजनाओं को प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास संबंधी एकल योजना में विलय कर दिया है और अब यह साक्षर भारत कार्यक्रम के नाम से जानी जाती है जिसमें विद्यमान दोनों योजनाएं शामिल होगी।

(iii) माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय योजना:

वर्ष 2006-07 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में पढ़ने वाली बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु एक योजना वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। योजना का उद्देश्य, एक ऐसा समर्थनकारी पर्यावरण स्थापित करने का है जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना कम हो और नामांकन बढ़े तथा उनका स्कूल में बना रहना सुनिश्चित हो।

(iv) राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजनाः

राष्ट्रीय साधन सह प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना में जो सन् 2008 में आरंभ की गयी थी IX कक्षा में प्रति वर्ष 6000/- रूपए (500/- रूपए प्रति माह) की एक लाख छात्रवृत्तियां देने का प्रावधान है। पात्रता मानदण्ड पूरा करने की शर्त पर कक्षा XII तक जारी रहता है। योजना का उद्देश्य , आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना है जिससे कि उन्हें कक्षा VIII में पढ़ाई छोड़ने से रोका जाए और उसे माध्यमिक स्टेज अर्थात् XII कक्षा तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(V) भाषा अध्यापकों की नियुक्तिः

योजना के अंतर्गत गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों, किसी ऐसी जगह पर जहां 25% से अधिक जनसंख्या ऊर्दू भाषी समुदाय की हो वहां ऊर्दू शिक्षकों और हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उन स्कूलों में जहां तृतीय भाषा पढ़ाने के लिए आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों की मांग हों, वहां उनकी नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

14, 43. **मदरसा/अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं:** (i) मदरसा में गुणात्मचक शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं (एसपीक्यूईएम)

औपचारिक शिक्षा विषय में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानकों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को योग्य बनाने हेतु इस योजना के माध्यम से मदरसों में गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

(ii) अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना

दिसम्बर 2008 से क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास योजना (आईडीएमआई) के रूप में संशोधित किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण द्वारा यह योजना अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करेगी। 100.00 करोड़ रुपए (पूर्वोतर क्षेत्र के लिये 10.00 करोड़ रुपए सहित)की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

15. **विद्यालय आकलन कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम का प्रयोग विद्यालयों के निष्पादन आकलन हेतु निधियाँ उपलब्ध कराने किया जायेगा। 30.00 करोड़ रूपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 3.00 सहित) की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

16. **राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद:** राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इस परिषद का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों को उनकी नीतियों को बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने तथा स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक सुधार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना को अंतिम रूप देने सहित मुख्य कार्यक्रमों के लिए सलाह देना और सहायता प्रदान करना था। वर्ष 2006-07 से स्कूलों में गुणवत्ता सुधार योजना जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम, स्कूलों में पर्यावरणीय पुनश्चर्या कार्यक्रम, स्कूलों में योग का आरंभ और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड जैसे घटक शामिल हैं, को कार्यान्वयन हेतु एनसीईआरटी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

17. **केन्द्रीय विद्यालय संगठन:** केन्द्रीय विद्यालय संगठन का गठन वर्ष 1965 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना, नियंत्रण और प्रबंधन हेतु एक पंजीकृत निकाय के रूप में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संगठन के तौर पर किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य स्थानांतरणीय केन्द्र सरकार कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

18. **नवोदय विद्यालय समिति:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1986 (1992 में यथा संशोधित) के अनुसरण में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए एक केन्द्रीय योजना आरंभ की गई थी। ये जवाहर नवोदय विद्यालय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत वर्ष 1986 में स्थापित स्वायत्त संगठन, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाते हैं।

19,44. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए):** (i) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उच्च प्राथमिक स्तर पूरा करने वाले छात्रों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अतः यह आवश्यक पाया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जाए। तदनुसार मार्च, 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की एक नई योजना आरंभ की गई। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2009-10 से आरंभ हो गया है।

(ii) स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (स्कूलों में आईसीटी):

वर्ष 2006 में स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन (क्लास) तथा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (ईटी) की विद्यमान स्कीमों का समावेशन करके स्कूलों में सूचना और जनसंचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आरंभ की थी ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विविधता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल के साथ सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर के माध्यम से अध्ययन को प्रोन्नत किया जा सके।

(iii) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उनके संचालन की योजना:

माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए बालिका छात्रावास की सुविधाओं के सृजन के लिए नई योजना आरंभ की गयी है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक (लगभग 3500 ब्लॉक) में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाना है। ये छात्रावास जहां व्यवहार्य हों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थापित होंगे और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर उन्हें आवासीय माध्यमिक स्कूलों में प्रोन्नत कर दिया जाएगा।

(iv) शिक्षा का व्यावसायीकरण:

माध्यामिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र-प्रायोजित योजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी जिसका कार्यान्वयन कक्षा XI-XII में क्रमश: औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में राज्य /संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से किया जाना था। 15.09.2011 के सीसीईए द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित योजना का लक्ष्य कक्षा XI-XII में व्यावसायिक शिक्षा का सुदृढीकरण करना है।

(v) माध्यमिक स्कूलों में नि:शक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएएस):

कक्षा 9-12 तक नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की सहायातार्थ माध्यमिक स्तर पर अप्रैल, 2009 से नि:शक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की नई स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम में शामिल सभी मदों के लिए सहायता 100 प्रतिशत आधार पर दी जाएगी। राज्य सरकारों को प्रत्येक बच्चे के लिए 600 रूपये प्रति वर्ष दिया जाना अपेक्षित है।

20,45. **उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना की योजना::** 15 अगस्त, 2007 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण के पश्चात प्रति ब्लाक एक स्कूल की दर से 6000 आदर्श स्कूलों की स्थापना की योजना वर्ष 2009-10 में आरम्भ की गई थी। इनमें से 3500 स्कूल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लाक में स्थापित किए जाने हैं और शेष 2500 स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत उन ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। इस योजना के राज्य क्षेत्र संघटक का कार्यान्वयन 2009-10 से और सार्वजनिक निजी भागीदारी का 2012-13 से आरम्भ किया गया है।

21. **स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (स्कूलों में आईसीटी):** इस योजना का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में विलय कर दिया गया है।

22. **माध्यमिक स्कूलों में नि:शक्तजनों की समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस)::** इस योजना का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में विलय कर दिया गया है।

23. **राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान:** यह योजना रोक दी गई है।

24. **केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन:** केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष 1961 में की गई थी। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में फैले तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना है। केन्द्रीय तिब्बती स्कूल सोसायटी प्रशासन के 79 स्कूल हैं।

25. **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** इस योजना का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है।

26. **राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना:** इस योजना का अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहयोग में विलय कर दिया गया है।

27. **माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं हेतु छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन योजना:** इस योजना का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में विलय कर दिया गया है।

28. **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति:** इस योजना का अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहयोग में विलय कर दिया गया है।

29. **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना:** इस योजना का अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहयोग में विलय कर दिया गया है।

30. **अन्य कार्यक्रम::** यह प्रावधान अध्यापकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए है।

31. **प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास योजना:** इस योजना का अध्यापक प्रशिक्षण एवं प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु सहयोग में विलय कर दिया गया है।

32. **प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं/राज्य संसाधन केन्द्रों को सहायता::** इस नई योजना में प्रौढ़ शिक्षा तथा जन शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को सहायता की दो मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत गैर सरकारी संगठनों को 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षरता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित राज्य संसाधन केन्द्र भी इस कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करते हैं।

33. **प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय:** प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय प्रौढ शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करता रहा है। इस निदेशालय की स्थापना देश में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाली विभिन्न सरकारी तथा गैर-

सरकारी एजेंसियों को शैक्षिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयी थी। प्रौढ शिक्षा निदेशालय का वित्तपोषण पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

34. **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण:** राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्वायत्त विंग के रूप में 1988 में की गयी थी।

35. **अन्य कार्यक्रमः:** प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, दिल्ली के लिए प्रावधान।